

## Details

- Gazette ID: UP\_69/2025/1881/77-6-2025/2(जनरल)/2023
- Link: <https://dashboard.policyindex.ai/smartgov/doc/9apsns>
- Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 00:00:00 GMT
- Ministry: औद्योगिक विकास विभाग
- Department: औद्योगिक विकास विभाग

## Summary

कार्यकारी सारांश: यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत मेगा श्रेणी में आने वाली 3 औद्योगिक इकाइयों को "लेटर ऑफ कम्फर्ट" जारी करने के लिए अनुमोदन के संबंध में है। दस्तावेज़ में इन्वेस्ट यू०पी० द्वारा दी गई इकाइयों का संक्षिप्त विवरण और शासन द्वारा अनुमोदन शामिल है। पत्र 3 सितंबर, 2025 को जारी किया गया था।

### मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:

- अनुमोदन: उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अनुसार मेगा श्रेणी के तहत 3 औद्योगिक इकाइयों को "लेटर ऑफ कम्फर्ट" जारी करने की स्वीकृति प्रदान की।
- औद्योगिक इकाइयों का विवरण: इन्वेस्ट यू०पी० द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 3 औद्योगिक इकाइयों का विवरण इस प्रकार है:
  - वाईटीटी इंडस्ट्रीज प्रा०लि० (खिमसेपुर, शाहजहांपुर में स्थित): एथेनॉल और पोल्ट्री फीड का उत्पादन करेगी, प्रस्तावित निवेश 277.86 करोड़ रुपये है।
  - ओकास गंगा एग्रीटेक प्रा०लि० (दादरी, गौतमबुद्धनगर में स्थित): बेकरी उत्पाद बनाएगी, प्रस्तावित निवेश 510.20 करोड़ रुपये है।
  - मेसर्स वुडपेकर ग्रीनएग्री न्यूट्रिएंट्स प्रा०लि० (खेमसेपुर, फर्रुखाबाद में स्थित): बीयर का उत्पादन करेगी, प्रस्तावित निवेश 570.00 करोड़ रुपये है।
- दिशा-निर्देश: लेटर ऑफ कम्फर्ट 14.04.2023 के एसओपी और 02.06.2025 के पत्र में उल्लिखित नियमों और प्रतिबंधों के अधीन जारी किया जाएगा।

### प्रभाव विश्लेषण:

#### मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू०पी०:

- प्रभाव: उन्हें उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अनुसार लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करने की प्रक्रिया का प्रबंधन करना है।
- आवश्यक कार्रवाई: लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करने के संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई करें।

सूचीबद्ध औद्योगिक इकाइयाँ (वाईटीटी इंडस्ट्रीज प्रा०लि०, ओकास गंगा एग्रीटेक प्रा०लि०, मेसर्स वुडपेकर ग्रीनएग्री न्यूट्रिएंट्स प्रा०लि०):

- प्रभाव: वे उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत लेटर ऑफ कम्फर्ट के आधार पर प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे।
- आवश्यक कार्रवाई: निर्धारित शर्तों और नियमों का पालन करें।

निदेशक, पिकप:

- प्रभाव: सूचित किया गया है
- आवश्यक कार्रवाई: कोई नहीं

अन्य विभाग (मुख्य सचिव के निजी सचिव, महालेखाकार, अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त के निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/वित्त के निजी सचिव, न्याय, नियोजन, एमएसएमई, स्टाम्प और निबंधन, राजस्व विभाग, राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव, यूपीसीडा/यूपीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी):

- प्रभाव: सूचित किया गया है।
- आवश्यक कार्रवाई: कोई नहीं

## Entities

उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022

- उत्तर प्रदेश सरकार की एक नीति जिसका उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना है।

इन्वेस्ट यू०पी०

- उत्तर प्रदेश सरकार की निवेश प्रोत्साहन एजेंसी।

लेटर ऑफ कम्फर्ट

- औद्योगिक इकाइयों को निवेश के लिए प्रोत्साहन के हिस्से के रूप में जारी किया जाने वाला एक आधिकारिक दस्तावेज।

मेगा श्रेणी/सुपर मेगा श्रेणी

- उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत परिभाषित परियोजनाओं/औद्योगिक इकाइयों का वर्गीकरण।

उत्तर प्रदेश शासन

- उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार